समाचार-प्रकाशनार्थ:-

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने निगम भवन पर ध्वजारोहण कया

रतलाम 16 अगस्त । 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने प्रातः 07ः30 बजे निगम भवन पर ध्वजारोहण कया।

ध्वजारोहण पश्चात निगम आयुक्त श्री झारिया ने निगम के अ धकारी एवं कर्मचारियों को 75 वें स्वतंत्रता दिवस की शुभाकामना देते हुए कहा क नगर पा लक निगम रतलाम प्रदेश मंे अवैध कालोनियों के निय मतिकरणए स्ट्रीट लाईट एनर्जी से वंगए आईटी सेल सहित कई उत्कृष्ट कार्यो के लए प्रथम स्थान रखता है यह हमारे लये गर्व की बात है।

उन्होने कहा है क हर गरीब का उत्थान करना सरकार की सर्वोच्च प्राथ मकता है इस हेतु सभी अ धकारी एवं कर्मचारी एकजुट होकर शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों को दिलाने का कार्य करें।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने कहा क अगले माह सीवरेज का भी कार्य पुर्ण होकर नगर के नागरिकों को गंदे पानी की समस्या से निजात मलेगी साथ ही नगर ओर भी अ धक साफ व स्वच्छ होगा।

इस अवसर पर निगम उपायुक्त श्री वकास सोलंकीए सहायक आयुक्त श्रीमती ज्योति सुनारियाए कार्यपालन यंत्री श्री जी.के. जायसवालए श्री मोहम्मद हनीफ शेखए लेखा धकारी श्री वजय बालोद्राए स्वास्थ्य अ धकारी श्री ए.पी. संहए उपयंत्री सर्वश्री अर वन्द दशोत्तरए बी.एल. चौधरीए ब्रजेश कुशवाहए अनिता ठाकुरए दीक्षा निजामपुरकरए समग्र सामाजिक सुरक्षा वस्तार अ धकारी आयुषी पालीवालए निज सहायक श्री सुभाष गोयलए कार्यालय अधीक्षक श्री रामचन्द्र शर्मा सहित निगम के अ धकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

निगम से संबं धत करो की बकाया रा श जमा कर अ धभार (पेनल्टी) में छूट प्राप्त करें

रतलाम 16 अगस्त । षासन निर्देषानुसार नोवेल कोरोना वायरस (को वड-19द्ध वैष्विक महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण प्रायः रोजगार में कमीए उद्योग-धन्धे में गरावटए स र्वस सेक्टर आदि में ष थलता परिल क्षत होने के फलस्वरूप निगम से संबं धत करोंए उपभोक्ता प्रभार आदि की बकाया रा ष एक मुष्त जमा कराने पर अ धभार (पेनल्टी) में 31 अगस्त 2021 तक छूट दी जा रही है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया क संपत्तिकर तथा अ धभार की रा ष रूपये 50ए000६ ;रूपये पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अ धभार में 100 प्रतिशत की छूटए संपत्तिकर तथा अ धभार की रा ष रूपये 50ए000६ ;रूपये पचास हजार) से अ धक तथा रूपये 1ए00ए000६ ;रूपये एक लाख) तक बकाया होने पर मात्र अ धभार में 50 प्रतिषत की छूट व संपत्तिकर तथा अ धभार की रा ष रूपये 1ए00ए000६ ;रूपये एक लाख) से अ धक बकाया होने पर मात्र अ धभार में 25 प्रतिषत की छूट दी जा रही है।

इसके अलावा जलकर अ धभार की रा ष रूपये 10ए000६ ;रूपये दस हजार) तक बकाया होने पर 100 प्रतिशत की छूटए जलकर तथा अ धभार की रा ष रूपये 10ए000६ ;दस हजार) से अ धक तथा रूपये 50ए000६ ;पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अ धभार में 75 प्रतिषत की छूटए जलकर तथा अ धभार की रा ष रूपये 50ए000६ ;पचास हजार) से अ धक बकाया होने पर मात्र अ धभार में 50 प्रतिषत की छूट दी जा रही है।

इसी तरह नगरीय निकायों द्वारा चयन की गई परिसंपत्तियों के भूभाटक/कराये की अ धभार सहित कुल देय रा ष रूपये 20ए000६ ;बीस हजार) तक बकाया होने पर मात्र अ धभार में 100 प्रतिषत की छूटए अ धभार सहित कुल देय रा ष रूपये 20ए000६ ;बीस हजार) से 50ए000६ ;पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अ धभार में 50 प्रतिषत की छूट तथा अ धभार सहित कुल देय रा ष रूपये 50ए000६ ;पचास हजार) से अ धक बकाया होने पर मात्र अ धभार में 25 प्रतिषत की छूट दी जा रही

है। उक्त छूट मात्र अ धभार पर लागू होगी तथा ब्याजए स्टॉप ड्यूटीए मूल करए मूल उपभोक्ता प्रभार अथवा मूल भूभाटक/कराये पर लागू नहीं होगी।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से अपील की जाती है क संपत्तिकरए जलकर व नगरीय निकायों द्वारा चयन की गई परिसंपत्तियों के भूभाटक/कराये की बकाया रा ष नगर निगम कार्यालय में जमा कर उक्तानुसार छूट प्राप्त करें।

नगर से निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन कया जा रहा है वजन
दो दिवस में 1ण्48 मट्रीक टन कचरा जुलवानिया पंहूचा
रतलाम 16 अगस्त । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर-घर से पृथक-पृथक एकत्रित कया जा रहे गीले-सूखे कचरे व सड़को व नाले-ना लयों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन कया जाकर जुलवानिया टेª चंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया जा रहा है जिसके तहत 15 व 16 अगस्त को 1ण्48 मट्रीक टन कचरा जुलवानिया टेª चंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया गया।
15 व 16 अगस्त को डम्पर व टेªक्टर ट्रॉली से 67490ए काम्पेक्टर सूखा कचरा 45965ए काम्पेक्टर गीला 32845ए मैजिक 2525 कलो इस तरह कुल 148825 कलो कचरा जुलवानिया टेª चंग ग्राउण्ड पंहूचाया गया।

दो कर्मचारियों को सौंपे नवीन दायित्व
रतलाम 16 अगस्त । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कार्य व्यवस्था एवं प्रशासकीय सु वधा की दृष्टि से श्री ऋ ष मोहन को वार्ड क्रमांक 13 का वार्ड प्रभारी का दायित्व सौंपा इसके अलावा श्री नरेन्द्र छपरी को सेनेटाईजर दल प्रमुख का दायित्व सौंपा है जो वर्तमान में फैल रही डेंगू बीमारी की रोकथाम हेतु प्रत्येक वार्ड में कीटनाशक दवा छिड़काव का कार्य करंेगे।
आज 8 उ चत मूल्य की दुकानों पर बनेगें आयुष्मान कार्ड

नगर निगम द्वारा अब तक 6960 आयुष्मान कार्ड बनाये गये

रतलाम 16 अगस्त। कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार आयुष्मान भारत ष्निरामयम' ' योजना अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र रतलाम के शेष रहे पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड वार्डो की उ चत मूल्य की दुकानों पर बनाये जा रहे हैं।

17 अगस्त मंगलवार को फ्रेंड महिला प्राथ मक उपभोक्ता भण्डार हाकमवाड़ाए भगवती प्राथ मक उपभोक्ता भण्डार दीनदयाल नगरए वश्वास प्राथ मक उपभोक्ता भण्डार फ्रीगंज रोडए जवाहर महिला प्राथ मक उपभोक्ता भण्डार अलकापुरीए कर्मशील प्राथ मक उपभोक्ता भण्डार वरियाखेड़ीए माॅ दरबार महिला प्राथ मक उपभोक्ता भण्डार थावरिया बाजारए जय भारत प्राथ मक उपभोक्ता भण्डार शहर सराय व दीपाली प्राथ मक उपभोक्ता भण्डार दिलीप नगर में पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाये जायेंगे।

उक्त उ चत मूल्य की दुकानों पर श वर आयोजित कर पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाने के कार्य के तहत 16 अगस्त को 151 कार्ड बनाये गये। इससे पूर्व वार्डवार गठित दलों द्वारा 2543 कार्ड बनाये गये थे इस तरह अब तक 6960 आयुष्मान कार्ड बनाये जा चुके हैं।

आयुष्मान कार्ड से शेष रहे पात्र हितग्राहियों से अपील की जाती है क वे आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु समग्र आईडीए आधार कार्डए खाद्यन्न पात्रता पर्ची के साथ उक्त उ चत मूल्य की दुकानों पर संपर्क कर कार्ड बनवाने की कार्यवाही संपादित करवायें।

नगर निगम के पंेषनरो को देना होगा जी वत प्रमाण-पत्र

रतलाम 16 अगस्त । संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं वकास भोपाल के निर्देशानुसार नगरीय निकायों के पेंशनरों को प्रत्येक वर्ष के माह दिसम्बर में जी वत प्रमाण-पत्र लया जावेगा।

नगर पा लक निगम रतलाम के समस्त पेंशनरों से अपील की जाती है क वे माह दिसम्बर 2021 से प्रत्येक वर्षान्त में जी वत प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में निगम की पेंशन शाखा में अनिवार्य रूप से जमा

करावें जी वत प्रमाण-पत्र नहीं जमा कराने पर जनवरी से पेंशन भुगतान नहीं कया जावेगा।

पथ वक्रेता पी.एम. स्वनिधी के तहत 10 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त निगम के झोन कार्यालयों में आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 16 अगस्त । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ वक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है संकल्प से सद्धी वशेष अ भयान के तहत ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने अपील की है क नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पथ वक्रेता जिन्हे प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना अन्तर्गत रा श रूपये 10ए000ध् का ऋण प्राप्त नहीं हुआ है वे नगर निगम के झोन कार्यालय अलकापुरी कम्युनिटी हॉलए डॉ0 अम्बेडकर मांग लक भवन पोलोग्राउण्डए अमृत सागर उद्यान व हरमाला पम्प हाउस कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर शीघ्र ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करें।

ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु पथ वक्रेता को आवश्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुकए आधार कार्डए पथ वक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

नागरिक व दुकानदार को वड अनुकूल व्यवहार का पालन करें

रतलाम 16 अगस्त । कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना 2019 संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु को वड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य कया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकोंए दुकानदारोए व्यावसायिक प्रतिश्ठान मा लकों से अपील की है क सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डस्टें संग का पालन अनिवार्य रूप से करें।

दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अ धक लोग इक` नहीं होवें। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के वरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 16 अगस्त । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्दे शत कया है क वे नगर के प्रत्येक घरए दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व संबं धत झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त कये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्दे शत कया यदि कसी भी वार्ड में मक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबं धत कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त कये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्दे शत कया क प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्दे शत कया क दोनो पा लयों मंे वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्दे शत कया है क वे प्रतिदिन प्रमा णत करेंगे क उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के वरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 16 अगस्त । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित हैए जिसके तहत वार्डो की सड़कए गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले-ना लयों आदि समु चत सफाई हेतु झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगीए कचरे के ढेरए नाले-ना लयों में कचरा पाये जाने पर संबं धतों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डो की समु चत साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबं धतों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार⁄ज.सं. व.⁄हेमन्त⁄16ण्08ण्2021ध्न.पा.निगमए रतलाम.